



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102024-257783
CG-DL-E-09102024-257783

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 780]
No. 780]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 8, 2024/आश्विन 16, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 2024/ASVINA 16, 1946

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
(संसद के अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक निकाय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2024

फा. सं. सीडब्ल्यूआर(1) 2024.—लागत और कार्य लेखाकार विनियम, 1959 में और अधिक संशोधन करने के लिए विनियमावली के निम्नलिखित प्रारूप, जिसे करने के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की परिषद प्रस्ताव करती है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है, जैसा कि इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी हितधारकों की सूचना के लिए लागत लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 39 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उपर्युक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर अथवा उसके बाद विचार किया जाएगा, जब भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिनमें ये प्रारूप विनियम प्रकाशित किए जाएं, जनता को उपलब्ध करा दिए जाएं।

उपर्युक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति, संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से निर्धारित अवधि के भीतर भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की परिषद द्वारा विचारार्थ उसे भेज सकता है। ईमेल या पोस्ट या हाथ से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व उपर्युक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव पर परिषद द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों को लागत और कार्य लेखाकार (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाए।
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. लागत एवं कार्य लेखाकार विनियम, 1959 में
(i) प्रमुख विनियम के विनियम 89 में, "कोलकाता" शब्द के स्थान पर "दिल्ली" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डी.पी. नंदी, अतिरिक्त सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./552/2024-25]

टिप्पणी:- मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 मई, 1959 में अधिसूचना संख्या 10(13) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे। आईएनएस/59 दिनांक 25 मई, 1959 और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (1) 2014 दिनांक 12 नवंबर, 2014 द्वारा संशोधित किया गया।

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

(Statutory Body under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2024

F. No. CWR(1)2024.—The following draft of Regulations to further amend the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, which the Council of the Institute of Cost Accountants of India proposes to make, is hereby published, as required by sub-section (3) of section 39 of the Cost Accountants Act, 1959 (23 of 1959) for the information of all stakeholders likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which these draft regulations are published, are made available to the public.

Any person desirous of making any objection or suggestion in respect of the said draft Regulations, may file the same for consideration by the Council of the Institute of Cost Accountants of India within the period so specified through the link available on the website of the Institute. The objections or suggestions received through email or post or by hand shall not be entertained.

Any objection or suggestion received from any person with respect to the said draft Regulations before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Council.

Draft Regulations

1. (1) These regulation may be called the Cost and Works Accountants (Amendment) Regulations, 2024
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Cost and Works Accountants Regulations, 1959
(i) **In Regulation 89 of the principal regulations, for the words "Kolkata" the words "Delhi" shall be substituted.**

D. P. NANDY, Addl. Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./552/2024-25]

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th May, 1959 vide Notification No. 10 (13). Ins/59 dated 25th May, 1959 and lastly amended vide Notification No. CWR (1) 2014 dated 12th November, 2014.